



व्यापार

जनता से रिश्ता
₹375/-
तीन मास का पंपर एन 4 फ्रीट काफ़ी तारकन प्रमोशन
मुफ़्त पायें
Mo. 7000428400, 7000481460


झराफ़ा बाजार भाव

रायपुर	₹ 32,879	10 ग्राम
वादी	₹ 42,600	किलोग्राम
मुंबई	₹ 32,860	10 ग्राम
वादी	₹ 39,334	किलोग्राम
लंदन	₹ 29,907	10 ग्राम
वादी	₹ 40,226	किलोग्राम



ताजा खबर संक्षिप्त

बैंकों को बड़ी राहत, आरबीआई ने सीसीबी का समयसीमा बढ़ाया



नई दिल्ली (ए.)। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों में पूंजी सुरक्षा बफर (सीसीबी) की आखिरी किस्त पर अमल करने की समयसीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया। आरबीआई के इस कदम से बैंकों के पास 37,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध होगी। इस कदम से बैंकों की कर्ज देने की क्षमता में 3।50 लाख करोड़ रुपये तक वृद्धि होगी। आरबीआई ने अधिसूचना की आखिरी किस्त को लागू करने की समय-सीमा को 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 करने का फैसला किया है। इस प्रकार, पूंजी संरक्षण का न्यूनतम अनुपात 2.5 प्रतिशत अब 31 मार्च, 2020 से लागू होगा। वर्तमान में बैंकों का सीसीबी मुख्य पूंजी का 1.875 प्रतिशत है। सीसीबी पूंजी बफर है, जिसे बैंकों को सामान्य समय में जमा करना पड़ता है।

चुनाव के लिए शहरी प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने का प्लान

नई दिल्ली (ए.)। लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में सरकार ने अगले तीन महीनों में मेगा अर्बन रिन्यूअल यानी शहरी नवीनीकरण से जुड़ी कई योजनाएं शुरू करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत अगले हफ्ते हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी चैलेंज से होगी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय करेगा। इसके बाद देश के चार शहरों में मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया जाएगा।



लाइटहाउस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाएंगी। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'हम हर इलाके से प्रोजेक्ट्स चुनेंगे और तय वेटेज सिस्टम के जरिए उसमें से सबसे बेहतर प्रपोजल का चुनाव किया जाएगा। यह एक तरह से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जैसा है। इसमें लागत और गति को ध्यान में रखते हुए बेहतर टेक्नोलॉजी का चुनाव करने में मदद मिलेगी।'

कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ उनके संबंधों को बढ़ाने के लिए एक ग्लोबल चैलेंज का प्रस्ताव दिया था। उम्मीद थी कि मंत्रालय दिसंबर 2018 में चैलेंज के बारे में ऐलान करेगा, लेकिन इससे जुड़े दिशानिर्देश तब तक तैयार नहीं किए जा सके थे। सूत्रों के मुताबिक, सरकार के अंदर एक वर्ग की राय थी कि इस पहल को चुनाव तक टाल दिया जाए। हालांकि, इसे बड़ी पहल माना गया, जिससे मंत्रालय की शहरी योजनाओं से जुड़ी पहल को सुर्खियों में जगह मिलेगी। चैलेंज के बाद मिनिस्ट्री के एजेंडा में मेट्रो कनेक्टिविटी सबसे ऊपर है। अगले तीन महीने में सरकार 4 शहरों में मेट्रो लाइन को बढ़ाने की योजना का उद्घाटन कर सकती है। सरकार की कोशिश होगी कि चुनाव आयोग के आचारसंहिता लागू करने से पहले ही इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर दिया जाए। जिन 4 शहरों में मेट्रो लाइन को बढ़ाया जाना है, उसमें अहमदाबाद, चेन्नई, नागपुर और नोएडा-ग्रेटर नोएडा शामिल हैं।

मुखौटा कंपनियों पर वार, सभी फर्मों के लिए KYC होगी अनिवार्य

नई दिल्ली (ए.)। मुखौटा कंपनियों के खिलाफ अभियान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जल्द ही फर्मों के लिए अपने ग्राहक को जानो यानी 'नो योर कस्टमर' प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। चण्डू प्रक्रिया के तहत सभी कंपनियों के लिए अपने प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों के डीटेल को बताना अनिवार्य होगा। इससे वाकफ एक अधिकारी ने बताया, 'यह बहुत जल्द शुरू होगा, मुमकिन है कि इसी महीने से शुरू हो जाए।' बता दें कि मुखौटा यानी शेल कंपनियां वे फर्म होते हैं जिनका वजूद सिर्फ कागज़ों पर होता है और जिन्हें छिपाए गए धन या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए ही बनाया गया होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पिछले साल सभी पंजीकृत कंपनियों के डायरेक्टरों के लिए चण्डू प्रक्रिया शुरू की थी। छद्म यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले 33 लाख डायरेक्टरों में से सिर्फ 16 लाख डायरेक्टरों ने ही चण्डू प्रक्रिया को पूरा किया है।

मिलों पर घरेलू स्टाक कम करने का दबाव

धीमा चीनी निर्यात बन रहा सिरदर्द

मुंबई (ए.)। दिसंबर में चीनी की विदेश जानी वाली खेपों में मामूली इजाफा हुआ है और सभी संकेत यही इशारा कर रहे हैं कि बाजार का परिदृश्य निर्यात के अनुकूल नहीं है और निकट भविष्य में भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ये हालात ऐसे समय में सामने आ रहे हैं कि जब घरेलू स्टाक कम करने के लिए मिलों पर अधिक निर्यात करने का दबाव है।



इसे तय किया था। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने सहकारी चीनी मिलों की एक निर्यात बाधा का रास्ता साफ कर दिया है और केंद्र से मिलने वाली निर्यात सब्सिडी की एवज में राज्य की मिलों को अंतरिम ऋण देने का फैसला किया है। इससे बैंक राज्य में करीब 100 मिलों द्वारा निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में गिरवी रखा गया चीनी स्टाक जारी कर सकेंगे। अलबत्ता वास्तविक निर्यात बाजार की परिस्थितियों और निर्यात में नुकसान की उस मात्रा पर निर्भर करेगा जिसे मिलें वहन कर सकती हैं। मिलों घरेलू बिक्री से 29 रुपये प्रति किलोग्राम वसूल सकती हैं। यह दर अधिकतम बिक्री कोटा से निर्धारित की गई है। मौजूदा विनिमय दर और वैश्विक दामों पर 18-19 रुपये की आमदानी हो रही है। सब्सिडी के बाद भी मिलों को नुकसान उठाना पड़ता है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ के चेयरमैन प्रफुल्ल विठ्ठलानी कहते हैं कि निर्यात कोटा कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत है। मिलों को किसी भी उस कोमत पर स्टाक में कटौती करने पर ध्यान देना चाहिए जिस पर वे शेष 85 प्रतिशत चीनी से कमाई बचाकर निर्यात कर सकती हों। वे बताते हैं कि सब्सिडी देने के लिए हमेशा सरकार की एक सीमा होगी और इसलिए कोई रास्ता निकालना होगा। तीन कारणों से बाजार की परिस्थितियां निर्यात के अनुकूल नहीं हैं। पहला, सरकार द्वारा निर्यात लक्ष्य की घोषणा के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये में चार प्रतिशत तक की मजबूती आई है। दूसरा, कच्चे तेल के दामों में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है जिसने तेल में मिश्रण के लिए एथनॉल के वास्ते गन्ने के अधिक इस्तेमाल की आर्थिक संभावना को कम कर दिया है। तीसरा, चीनी के दाम शीर्ष स्तर से 15-20 प्रतिशत कम होने के बावजूद निर्यात संभव नहीं होना।

चूँकि यही सब काफी नहीं था इसलिए पिछले सोमवार सरकार ने बफर स्टाक की शीर्ष में संशोधन कर दिया और कहा कि मार्च और जून तिमाहियों की सब्सिडी की अदायगी के लिए मिलों को 2018-19 के सीजन के लिए सरकार के आदेशों / निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन कराना होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर मिलें दिए गए कोटे का निर्यात करने में विफल रहती हैं तो उन्हें बफर सब्सिडी नहीं मिलेगी।

विभिन्न जिंजों की समीक्षा करने वाली अमेरिका स्थित एजेंसी डॉ. अमीन कंट्रोलर्स से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निर्यात के लिए 5 जनवरी तक मिलों से कुल 7,26,000 टन चीनी जारी की गई जिसमें से 3,83,000 टन चीनी की वास्तविक खेप भेजी गई जबकि बाकी प्रक्रिया में है। अब तक का निर्यात केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा चीनी सीजन (अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019) के लिए निर्धारित 50 लाख टन के निर्यात लक्ष्य से कम रहा है। सरकार ने प्रोत्साहन की घोषणा के दौरान

नीलामी से ही सभी स्पेक्ट्रम हुए आवंटित : रविशंकर प्रसाद

नयी दिल्ली (ए.)। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि उनके दूरसंचार मंत्री रहते सभी स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के जरिए ही किया गया है, लेकिन कैंग की रिपोर्ट में 2015 में स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर जिन विसंगतियों की ओर इशारा किया गया है, उस पर वह गौर करेंगे। प्रसाद ने राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम से इतर एक सवाल के जवाब में कहा, 'हर स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के जरिए किया गया था।' माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खास तौर पर उठाए गए बिंदुओं के बारे में



प्रसाद ने कहा, 'मैं इस पर गौर करूंगा।' कम दूरी में मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है। संसद में

मंत्रालय को प्रस्तुत कैंग की रिपोर्ट में दूरसंचार मंत्रालय के स्पेक्ट्रम प्रबंधन में कई खामियां पाई गई हैं। कैंग का कहना है कि स्पेक्ट्रम प्रबंधन में खामियों की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। ऑडिटर ने पाया कि एक दूरसंचार ऑपरेटर को 2015 में समिति की सिफारिशों के उलट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया, जबकि सरकार के पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के 101 आवेदन लंबित थे। कैंग ने कहा है कि दूरसंचार विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के स्पेक्ट्रम प्रयोगकर्ताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए एक समिति का गठन किया था।

RBI केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह : बिमल जालान

नई दिल्ली (ए.)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने गुरुवार को कहा कि आरबीआई केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है और उसे सरकार द्वारा तय प्रेमवर्क के तहत ही नीतियों का निर्माण करना चाहिए। केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को लेकर उपजे विवाद के बीच ऋद्ध के गवर्नर उज्ज्वल पटेल के इस्तीफे के बाद बिमल जालान को उस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो आरबीआई के सरप्लस फंड को सरकार को ट्रांसफर करने के लिए प्रेमवर्क तय करेगा।



रॉयटर्स से बातचीत करते हुए जालान ने समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी करते से इनकार कर दिया, लेकिन सरकार तथा केंद्रीय बैंक के रिश्तों पर अपनी बात रखी। इकॉनॉमिक कैपिटल प्रेमवर्क पर छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का चेयरमैन नियुक्त किए जाने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में जालान ने कहा, 'मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन के लिए आरबीआई सरकार के प्रति जवाबदेह है।' उन्होंने कहा, 'स्वायत्तता संस्थान और सरकार के बीच मतभेद हो सकते हैं।'

40 लाख तक टर्नओवर वाले नहीं होंगे जीएसटी में शामिल छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में राहत

छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में राहत

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को हुई 32वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसके तहत 40 लाख तक टर्नओवर वाले कारोबारी जीएसटी में शामिल नहीं होंगे। जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना कारोबार सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया है। यह एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दो प्रकार की छूट लिमिट होगी। पहली 40 लाख के टर्नओवर तक रहेगी। दूसरी छोटे राज्यों को छूट 10 लाख की जगह 20 लाख कर दी गई है।



जेटली ने कहा कि जीएसटी कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि टैक्स भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में रीयल एस्टेट तथा लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मतभेद सामने आने के बाद इसपर विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया। GST दर घटने से टीवी समेत

23 वस्तुएं और सेवाएं होंगी सस्ती सालाना कारोबार की बढ़ाई गई सीमा वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने केवल दो साल के लिए राज्य के भीतर बिक्री पर एक प्रतिशत सेस लगाने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी से छूट के लिए सालाना कारोबार सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया गया जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिये यह सीमा 20 लाख रुपये की गयी। अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कंपोजिशन योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना कारोबार सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया, यह एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।

Toner Toner Toner Toner Toner Toner

बार-बार रिफिलिंग से छुटकारा पाईये

PREMIUM Laser Toner Cartridges

खराब प्रिंटिंग से छुटकारा
अपने प्रिंटर की लाईफ बढ़ाईये
अच्छी प्रिंट पाईये

12A 350 रु.
16A 2000 रु.

Contact 9302732787, 9165233333, 8770978078
जनता से रिश्ता प्रेस बिल्डिंग, इंद्रावति कालोनी, रायपुर